(6)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घड़साना जिला श्रीगगांनगर

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. अभिलाषा आर. ए. एस.

प्रकरण संख्या :– 2020/00244 (जीसीएमएस)

1. बृजमोहन पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी 15 केएनडी तहसील रावला जिला श्रीगंगानगर।

....प्रार्थी

बनाम

1. वीरूसिंह पुत्र अमर सिंह जाति रायसिख निवासी 9 केडी–ए तहसील रावला जिला श्रीगंगानगर राज.।
2. गुरसेवक सिंह पुत्र हमीरसिंह जाति नाई सिख निवासी 9 केडी–ए तहसील रावला जिला श्रीगंगानगर राज.।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रावला जिला श्रीगंगानगर राज.।

....अप्रार्थीगण

उपस्थितः– 1. श्री मदन ज्याणी, वकील प्रार्थी।
2. श्री श्रवण विश्नोई, वकील अप्रार्थी संख्या 1
3. श्री सतपाल बिश्नोई, वकील अप्रार्थी संख्या 2
4. स्टेट की ओर से राजपैरोकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा
251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक :– 14.06.2022

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम से तहसील रावला के चक 9 केडी–ए के पत्थर नं. 152/22 के मुरब्बा नं. 33 के किला नं. 4 ता 7, 13 ता 18, 23 ता 25 की कुल 3.125 है0 एवं प.नं. 152/30 के मु.नं. 34 के किला नं. 1 ता 25 की 6.325 है0 इस प्रकार कुल 9.450 है0 अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि है तथा प्रार्थी की भूमि प्रार्थी के कब्जा काश्त में है। अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से चक 9 केडी–ए के प.नं. 152/22 मु.नं. 33 के किला नं. 1, 2, 9, 10, 11, 20, 21 कुल 1.518 है0 कृषि भूमि दर्ज रिकॉर्ड है तथा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से चक 9 केडी–ए के प.नं. 152/22 मु.नं. 33 के किला नं. 3, 8, 12, 22 की 0.700 है0 व प.नं.

152/23 मु.नं. 36 के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 की 1.050 है0 इस प्रकार कुल 1.750 है0 कृषि भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की कृषि भूमि प्रार्थी के रकबा के विपती हुई है तथा अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि प.नं. 152/22 के किला 21 व अप्रार्थी संख्या 2 की भूमि प.नं. 152/22 के किला नं. 22 में दो-दो बिस्वा रास्ता स्वीकृत है तथा मौके पर चालू है। प्रार्थी के पास करीब 38 बीघा कृषि भूमि है तथा प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने-जाने के लिए पूर्व में स्वीकृत दो-दो बिस्वा रास्ता में कृषि उपकरण लाने-ले जाने में परेशानी होती है तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की कृषि भूमि के किला नं. 21 व 22 में स्वीकृत दो-दो बिस्वा रास्ता में से प्रार्थी के आने-जाने से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की फसल को नुकसान पहुंचता है तथा प्रार्थी को भी अपने कृषि उपकरण एवं अपने रकबा की उपज को लाने व ले जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है इसलिए प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को रकबा किला नं. 21 व 22 में पूर्व में स्वीकृत तथा मौका पर चालू दो-दो बिस्वा रास्ता को बढ़ाकर पौने चार बिस्वा (30 फुट) रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 के रकबा के किला नं. 21 में स्वीकृत रास्ता के अलावा 0.022 है0 व अप्रार्थी संख्या 2 के रकबा के किला नं. 22 में स्वीकृत रास्ता के अलावा 0.022 है0 रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है ताकि प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में किला नं. 23 से होकर सुगमता से आ जा सके एवं कृषि कार्य कर सके। प्रार्थी की कृषि भूमि में आने जाने में रास्ता छोटा के कारण प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने-जाने एवं कृषि कार्य करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा और कोई भी रास्ता अपनी कृषि भूमि में आने-जाने के लिए नहीं है। प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को स्वीकृत रास्ता के एवज में भूमि के बदले भूमि या कीमत देने को तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी को अपनी उपरोक्त वर्णित 9.450 है0 कृषि भूमि में आने-जाने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 के रकबा तहसील रावला के चक 9 केडी-ए के पत्थर नं. 152/22 के मुरब्बा नं. 33 के किला नं. 21 में स्वीकृत रास्ता के अलावा 0.022 है0 (14 फुट/पौने दो बिस्वा) व अप्रार्थी संख्या 2 के रकबा तहसील रावला के चक 9 केडी-ए के पत्थर नं. 152/22 के मुरब्बा नं. 33 के किला नं. 22 में स्वीकृत रास्ता के अलावा 0.022 है0 (14

फुट/पौने दो बिस्वा) रास्ता पूर्व में चालू रास्ता के समानान्तर/चिपता हुआ रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

प्रकरण न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 ने जरिये वकील उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 रिकॉर्ड है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम से भूमि होना रिकॉर्डेड है व अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि किला नं. 21 में रास्ता अपना रिकॉर्डेड है एवं उक्त रास्ता खेत का रास्ता है एवं 2 बिस्वा यानि करीबन साढे 16 फुट रास्ता है जो खेत में जाने के लिए पर्याप्त एवं सुविधाजनक है उपनिवेशक शर्तों के मुताबिक भी खेत एवं खेत का रास्ता नियमानुसार 2 बिस्वा का ही है अप्रार्थी के पास भी कृषि भूमि है और कृषि भूमि में आने–जाने के लिए उक्त रास्ता पर्याप्त है अप्रार्थी द्वारा उक्त रास्ते को और अधिक चौड़ा कराने का क्या उद्देश्य है समझ से परे है क्योंकि कृषि उपकरण एवं रकबा की उपज लाने ले जाने के लिए दो बिस्वा का रास्ता पर्याप्त है जबकि प्रार्थी की भूमि मौका पर अनकमाण्ड है जिस पर वर्तमान में कोई खेती नहीं हो रही है वह नियमों के विरुद्ध जाकर कृषि भूमि पर प्रार्थी द्वारा अकृषि कार्य किया जा रहा है। प्रार्थी ने उक्त भूमि पर ईंट भट्टा लगा रखा है एवं इस क्षेत्र में अनकमाण्ड भूमि पर पैदावार होती ही नहीं है और होती भी बहुत कम मात्रा में। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निराधार एवं औचित्यहीन होने के कारण काबिले निरस्ती है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 गलत बयानी अस्वीकार है प्रार्थी को अपने रकबा में आने जाने के लिए पर्याप्त रास्ता है प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 गलत बयानी अस्वीकार है क्योंकि प्रार्थी को खेत में आने–जाने का पर्याप्त रास्ता है अन्य रास्ता स्वीकृत कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मद संख्या 5 अस्वीकार है क्योंकि प्रार्थी के पास अपनी भूमि में जाने का पर्याप्त रास्ता है अन्य रास्ता स्वीकृत कराने की मांग औचित्यहीन है, एवं ना ही अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि प्रार्थी के चिपती हुई है, जिससे अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी से भूमि के बदले भूमि ले सके एवं अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि कमांड है एवं प्रार्थी की भूमि अनकमांड है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 अस्वीकार है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 का जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर

श्रीमान जी से निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र औचित्यहीन एवं निराधार होने के कारण निरस्त फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 2 ने जरिये वकील उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मद संख्या 1 रिकॉर्ड है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 मे वर्णित कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम से भूमि होना रिकॉर्डेड है व अप्रार्थी संख्या 2 की भूमि किला नंबर 22 में रास्ता अपना रिकॉर्डेड है एवं उक्त रास्ता खेत का रास्ता है एवं 2 बिस्वा यानी करीब साढे 16 फुट रास्ता जो खेत में जाने के लिए पर्याप्त एवं सुविधाजनक है उपनिवेशक शर्तों के मुताबिक भी खेत एवं खेत का रास्ता नियमानुसार 2 बिस्वा का ही है। अप्रार्थी के पास भी कृषि भूमि है और कृषि भूमि में आने–जाने के लिए उक्त रास्ता पर्याप्त है। प्रार्थी द्वारा उक्त रास्ते को और अधिक चौड़ा करने का क्या उद्देश्य है समझ से परे है क्योंकि कृषि उपकरण एवं रकबा की उपज लाने–ले जाने के लिए 2 बिस्वा का रास्ता पर्याप्त है व 16 फुट के रास्ते में कोई भी साधन जेसीबी, ट्रक, बड़े ट्रोले आदि परिवहन कर सकते हैं प्रार्थी को मात्र 2 बीघा में 25–30 फुट का रास्ता की जरूरत हो, ऐसी बात समझ से परे लग रही है। ऐसा ज्ञात हो रहा है कि जैसे प्रार्थी यहां से कोई एरोप्लेन लोडिंग का रास्ता बनाना चाहता हो। जबकि प्रार्थी की भूमि मौका पर अनकमाण्ड है जिस पर वर्तमान में कोई खेती नहीं हो रही है व नियमों के विरुद्ध जाकर कृषि भूमि पर प्रार्थी द्वारा अकृषि कार्य किया जा रहा है। प्रार्थी ने उक्त भूमि पर ईंट भट्टा लगा रखा है एवं इस क्षेत्र में अनकमाण्ड भूमि पर पैदावार होती ही नहीं है और हो तो बहुत कम मात्रा में। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निराधार एवं औचित्यहीन होने के कारण काबिले निरस्ती है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 गलत बयानी अस्वीकार है। प्रार्थी को अपने रकबा में आने–जाने के लिए पर्याप्त रास्ता है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 गलत बयानी अस्वीकार है क्योंकि प्रार्थी को खेत में आने–जाने का पर्याप्त रास्ता है, अन्य रास्ता स्वीकृत कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 अस्वीकार है, क्योंकि प्रार्थी के पास अपनी भूमि में जाने का पर्याप्त रास्ता है अन्य रास्ता स्वीकृत कराने की मांग औचित्यहीन है एवं ना ही अप्रार्थी संख्या 2 की भूमि प्रार्थी की भूमि के चिपती हुई है जिससे अप्रार्थी संख्या 2 प्रार्थी से भूमि के बदले भूमि ले सके एवं प्रार्थी संख्या 2 की भूमि कमाण्ड है

एवं प्रार्थी की भूमि अनकमाण्ड है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 अस्वीकार है। अतः अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र औचित्यहीन एवं निराधार होने के कारण निरस्त फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 3 स्टेट की ओर से तहसीलदार रावला द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा निर्धारित प्रपत्र में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

वकील उभयपक्ष द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र के संबंध में बहस की गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया एवं निवेदन किया कि प्रार्थी को अपनी उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में आवागमन एवं कृषि कार्य के लिए मौके पर केवल 14 फुट रास्ता चालू है जो कि पर्याप्त नहीं है एवं अप्रार्थीगण ने रास्ता के किनारे पर तारबन्दी कर रखी है जिससे आधुनिक बड़े कृषि उपकरणों को लाने व ले जाने में परेशानी होती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–ए के प्रावधानों में संशोधन भी इसलिए किया गया है कि वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार काश्तकारों को सुगमता से पर्याप्त रास्ता उपलब्ध करवाया जा सके। इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के रकबा में से किला नं. 21 व 22 में स्वीकृत रास्ता के अलावा 0.022 है0 (14 फुट/पौने दो बिस्वा) रास्ता पूर्व में चालू रास्ता के समानान्तर/चिपता हुआ रास्ता स्वीकृत किया जावे। वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया एवं निवेदन किया कि प्रार्थी को अपने रकबे में आवागमन हेतु 2 बिस्वा/16.5 फुट रास्ता पहले से ही उपलब्ध है एवं अप्रार्थीगण छोटे काश्तकार हैं तथा अप्रार्थीगण की भूमि कमाण्ड है जबकि प्रार्थी की भूमि अनकमाण्ड है। अतिआवश्यक होने पर ही विद्यमान मार्ग को विस्तृत किया जा सकता है जबकि प्रार्थी ने ऐसा कोई भी कारण नहीं बताया है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे। जवाब बहस में वकील प्रार्थी ने पुनः निवेदन किया कि प्रार्थी की भूमि अनकमाण्ड व अप्रार्थी की भूमि कमाण्ड है तो प्रार्थी रास्ता की एवज में अप्रार्थीगण को रास्ता में उपयोग होने वाली भूमि से दुगनी भूमि अथवा डीएलसी दर की चार गुणा राशि अथवा बाजार भाव की राशि देने हेतु सहमत है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस पर मनन करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् न्यायालय का निष्कर्ष है कि वर्तमान में आधुनिक कृषि उपकरणों को प्रार्थी को अपनी भूमि में लाने–ले जाने तथा अन्य कृषि कार्यों के लिए मौके पर चालू व स्वीकृत 2 बिस्वा रास्ता पर्याप्त नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संशोधित प्रावधानों के अनुसार वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार काश्तकारों को कृषि कार्यो में सुविधा हेतु रास्ता चौड़ा किया जा सकता है। उपरोक्त वर्णित रास्ता जो कि मौका पर चालू है, प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में कृषि उपकरणों को लाने–ले जाने तथा अन्य कृषि कार्यों के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए वर्तमान में चालू एवं स्वीकृत रास्ते को विस्तृत किये जाने की अत्यन्त आवश्यकता प्रतीत होती है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए तहसील रावला के चक 9 केडी–ए के पत्थर नं. 152/22 के मुरब्बा नं. 33 में किला नं. 21, 22 में वर्तमान में स्वीकृत 2–2 बिस्वा रास्ता के समानान्तर/चिपता हुआ 1–1 बिस्वा (प्रत्येक किला में 1 बिस्वा) रास्ता अप्रार्थीगण को डीएलसी दर की दो गुणा राशि दिये जाने की शर्त पर स्वीकृत किया जाकर तहसीलदार राजस्व रावला को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा उक्त राशि राजकोष में जमा करवाने पर उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार अमलदरामद किया जावे अथवा अप्रार्थीगण के उपस्थित आने पर उक्त राशि का भुगतान अप्रार्थीगण को किया जाना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 14.06.2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(अभिलाषा)
आर ए एस
उपखण्ड अधिकारी
घाटवा